जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक :– एफ (   )/टीसीबी/2006–07/डी– 98   दिनांक:– 21/8/06

दिनांक 20.07.2006 को जेडीसी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 51वीं ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण।

(A) पूर्व के लंबित प्रकरण:–

1. यातायात पुलिस द्वारा सीज की गये वाहनों तथा दुर्घटना थानों के लिये भूमि का आवंटन।

इस निर्णय की अनुपालना में जो प्रयास किये गये है, उनका कोई सार्थक फल प्राप्त नही होने की वजह से जेडीसी महोदय ने निर्देश दिये की संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिये जाये की वे अपने क्षेत्रों में उक्त प्रयोजनार्थ जो भूमि उपलब्ध है उसका विवरण एवं प्रतिवेदन 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा स्थान एवं जमीनें प्रस्तावित की गई है, उन्हें आवंटित किये जाने की संभावना पर भी संबंधित उपायुक्त अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगें। उपायुक्तों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर यातायात पुलिस की सहमति प्राप्त की जाकर आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

संबंधित अधिकारी : सचिव, सलाहकार टीसीबी, संबंधित उपायुक्त।

2. अजमेरी गेट सब–वे पर जाली लगाना एवं अन्य कार्य।

नगर निगम की ओर से अवगत करवाया गया की वांछित कार्यवाही यथा सफाई, रोशनी की व्यवस्था, बोर्ड एव गार्ड इत्यादि लगा दिये गये है तथा अब इस सब वे का प्रयोग शुरू किया जा सकता है। यादगार ट्रेफिक जंक्शन पर तैनात ट्रेफिककर्मी नागरिको को सब–वे का उपयोग करने के लिये जानकारी देंगे। इस बिन्दु को सर्वसम्मती से अनुपालना होने की वजह से लंबित सूची से हटाया गया।

3. ट्रेफिक पार्क शास्त्री नगर का लोकापर्ण।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की ट्रेफिक पार्क के बारे में एक ब्रीफ नोट बनाकर पेश किया जाये ताकि लोकापर्ण के लिये मुख्य अतिथि को आमंत्रण का निवेदन करने के लिये चर्चा की जाकर अनुमति ली जा सकें।

संबंधित अधिकारी: पुलिस अधीक्षक यातायात।

4. सेक्टर 32 प्रताप प्लाजा के सामने टोंक रोड़ बजरी मण्डी को बम्बाला मार्ग के पास स्थानांतरित करना।

अभी तक जो कार्य जेडीए द्वारा कावाया गया है उसे पुलिस अधीक्षक यातायात ने बजरी मण्डी को स्थानांतरित करने की दृष्टि से सुरक्षित नही होना बताया है। सभी पक्षों पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मौके पर एक पूर्व से निर्मित सड़क को चौडा किया जाये जिससे की ट्रको का आवागमन सुरक्षित तरीके से हो सकें। जेडीसी महोदय ने एक माह में उक्त कार्य संपन्न करने के निर्देश प्रदान किये।

संबंधित अधिकारी : निदेशक परियोजना एवं निदेशक सड़क अभियांत्रिकी।

5. प्राइवेट बस स्टेण्डो को शहर के बाहर स्थानांतरित करना।

(21)

शहर के प्राइवेट बस स्टेण्ड जहां–जहां स्थानांतरित किये जाने है, उन स्थानो की पहचान की जाकर संबंधित उपायुक्तों को इस बारे में समय–समय पर निर्देश दिये गये है परंतु अभी तक कोई प्रतिवेदन/प्रगति नही हो पायी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की इस बारे में अलग से एक मीटिंग को आयोजन संबंधित उपायुक्तो आरटीओ एवं पुलिस अधीक्षक यातायात को बुलाकर कर लिया जाये।

संबंधित अधिकारी: सलाहकार टीसीबी।

6. वर्धमान पथ सी–स्कीम को ट्रेफिक कलादीर्घा के रूप में विकसित करना।

मुस्कान की ओर से अवगत करवाया गया की सभी संबंधित स्कूलो के साथ बैठको का आयोजन किया जाकर इस विषय के सभी पक्षों पर चर्चा की जा चुकी है तथा कलादीर्घा की अवधारणा, डिजाईन, कार्यकारी स्वरूपों एवं प्रस्तावित परियोजना को अधिकतम उपयोगी बनाये जाने एवं इसकी अर्थपूर्णता को निरंतरता प्रदान करने के लिये विशेषज्ञों से चर्चा की जा चुकी है। इस परियोजना को प्रारंभ करने एवं अंतिम स्वरूप प्रदान कर जनसामान्य विशेषकर विद्यार्थियों के उपयोग एवं सडक सुरक्षा के विविध पक्षों की जानकारी के लिये आम नागरिको के लिये इस स्थान को एक रूचिकर पर्यटक सडक सुरक्षा शिक्षण स्थल के रूप में विकसित करने के लिये विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है अतः इसके विविध स्वरूपों की समीक्षा एवं इस परियोजना अपने किस्म की एक अभिनव योजना है अतः इसके विविध स्वरूपों की समीक्षा की एवं इस परियोजना के पर्यवेक्षण के लिये एक कमेटी का गठन किया जाये। इस कमेटी की अध्यक्षता के लिये श्रीमती नीलीमा जौहरी, निदेशक आईआईसीडी नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये सहमत है। इस कमेटी में सलाहकार टीसीबी, पुलिस अधीक्षक यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित्त, आयोजक स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एवं मुस्कान को शामिल किया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया है।

संबंधित अधिकारी: प्रस्तावित कमेटी।

7. स्कूलो में सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं रोड शो का संचालन।

इस कार्य हेतु 13,75,000 रूपये के निर्धारित बजट को स्वीकृत कर यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव निदेशक वित्त को भिजवाया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की यह बजट पुलिस अधीक्षक यातायात को शीघ्र ही उपलब्ध करवाया जाये। इस परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रस्ताव मुस्कान संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके है। यातायात पुलिस को बजट उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि प्रस्तावित कार्यक्रमो का कियान्वयन यातायात पुलिस एवं मुस्कान के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व की भांति किया जा सकें।

संबंधित अधिकारी: निदेशक (वित्त), पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मुस्कान।

8. जवाहर कला केन्द्र के सामने के रोड़ कट को बंद करना।

इस विषय पर चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ की चूंकि फ्लाईओवर का निर्माण इस स्थान पर किया जाना वित्तिय दृष्टि से उपयुक्त नही है अतः बजाज नगर ट्राई जंक्शन को चौराहे में रूपांतरित कर दिया जाये एवं टी–प्वाईट के आगे के वन विभाग की जमीन पर सड़क बनाई जाकर उसे घुमाव देते हुए झालाना की सडक में मिला दिया जाये। यह कार्य सस्ता एवं सुरक्षित है अतः वन विभाग के अधिकारियों से इस बाबत संपर्क स्थापित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

9. नवनिर्मित जगतपुरा ड्राईविंग ट्रेक के आसपास अतिक्रमण हटाने हेतु ।

यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं वहां से स्टे मिला हुआ है। अतः स्टे खारिज होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। केस प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे दिये गये है। इस प्रकरण को टीसीबी के लंबित प्रकरणों में रखना उचित प्रतीत नही होने से सर्वसम्मती से इस बिन्दु का समापन किया गया है।

(B) टीसीबी 50वी बैठक के प्रकरणों की सूची:-

1. नई विकसित की जा रही कॉलोनीयों में पुलिस थाना, बस स्टेण्ड, शौचालय, परिवहन आदि की सुविधा।

इस विषय पर निदेशक नगर नियोजन ने अवगत करवाया की संबंधित रेग्युलेशन की समीक्षा की जा रही है एवं ऑथोरीटी के समक्ष वांछित संशोधन अनुमोदन के लिये पेश किये जायेंगे। सुविधा क्षेत्र के लिये पूर्व में 40 प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी जाती थी, जिसे अब 50 प्रतिशत बढाये जाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया की कॉलोनीयों के नक्शें पास करते समय अभी सुविधा क्षेत्र को सामान्य तौर पर दर्शाया जाता है, इसके बजाय निर्धारित भूमि किन-किन सुविधाओं के लिये प्रयुक्त की जानी है इसका विशिष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिये । इस बिन्दु के सभी पहलूओं की समीक्षा निदेशक नगर नियोजन द्वारा की जा रही है एवं वांछित प्रस्ताव/संशोधन ऑथोरीटी के समक्ष रखें जाने प्रस्तावित है अतः सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया की इस बिन्दु को टीसीबी के लंबित प्रकरणों में दर्शाये जाने की आवश्यकता नही है।

2. फ्लाईओवर के नीचे की खाली जमीन का उपयोग।

इस बिन्दु पर पूर्व की निर्णय की अनुपालना में कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हुई है अतः निर्णय लिया गया की इस बिन्दु की अनुपालना के बारे में गति लाकर प्रगति की जायेगी।

संबंधित अधिकारी : निदेशक (अभियांत्रिकी), निदेशक (परियोजना) सर्किल अभियन्ता-2, सलाहकार टीसीबी।

3. शहर में परकोटे के अंदर एवं बाहर बस व्यवस्था को सुदृढ करना।

रोडवेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की जाकर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित किये जाने का निर्णय किया गया ।

संबंधित अधिकारी: सलाहकार टीसीबी।

4. भवानी सिंह रोड एवं तख्तेशाही रोड पर एकतरफा यातायात।

प्रायोगिक तौर पर लागू की गई एकतरफा व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों के मध्यनजर निर्णय लिया गया की एकतरफा यातायात की अवधि को सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे एवं शाम को 4:15 बजे से 6:00 बजे तक एकतरफा यातायात सुनिश्चित किया जाये।

संबंधित अधिकारी : पुलिस अधीक्षक यातायात।

5. टीसीबी के निर्णयों की अनुपालना में सहयोग के लिये एईन/जेईन उपलब्ध करवाना।

इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया जाकर, इस प्रकरण को लंबित विषयों की सूची से हटाया गया ।

6. यातायात के दबाव को वितरित करने के लिये विभिन्न सड़को पर संकेतक पट्ट लगाना।

निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं सर्किल अभियन्ता–2 ने अवगत करवाया की सूचना पट्ट लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की महत्वपूर्ण सडको पर अलग–अलग कॉलोनीज को मुडने वाले मार्गो पर कॉलोनी के नाम सहित अधिक से अधिक संकेतक चिन्ह नागरिकों की सुविधा एवं यातायात संचालन के लिये लगाये जाये। पुलिस अधीक्षक यातायात भी इस सबंध में स्थानो एव मार्गो को चिन्हित कर सूचना समय–समय पर भिजवाये । चूंकि यह कार्य नियमित तौर पर चलता रहेगा अतः इस विषय को टीसीबी की लंबित सूची से हटाये जाने पर सहमति हुई है।

7. चमेली वाला मार्केट की पार्किंग व्यवस्था।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय हुआ की यदि चमेली वाला मार्केट में नो- पार्किंग की व्यवस्था संभव हो तो उसे यातायात पुलिस सुनिश्चित करले एवं अशोक मार्ग या अन्य कोई विकल्प यातायात संचालन के लिये उपलब्ध हो तो उस पर यातायात पुलिस अपने स्तर पर कार्यवाही करे एवं आवश्यक हो तो प्रस्ताव जविप्रा को भिजवाये जाये। इस प्रकरण को लंबित विषयों की सूची में रखे जाने का औचित्य प्रतीत नही होने की वजह से विषय सूची से हटाया गया।

8. ट्रांसपोर्ट नगर से झालाना आगार तक रोड को सुधारना।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय हुआ की चूंकि यह कार्य वरीयता पर लिया जाना है अतः निदेशक (परियोजना), निदेशक (अभियांत्रिकी) इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाकर एक माह में अनुपालना प्रस्तुत करेगें।

संबंधित अधिकारी: निदेशक (परियोजना), निदेशक (अभियांत्रिकी)।

9. गोल्फ क्लब के अंबेडकर सर्किल पर स्थित गेट को बंद करना।

सर्वसम्मती से यह निर्णय लिया गया की पुलिस अधीक्षक यातायात इस कार्य को वरीयता से संपन्न करेंगी एव प्रस्तावित गेट 15 अगस्त तक आवश्यक रूप से बंद करवा दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की गोल्फ की बॉल बाउन्ड्री पर आकर किसी राहगीर को आहत ना करदे इसके लिये जाली इत्यादि लगाकर उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी गोल्फ क्लब को दिये जाये।

संबंधित अधिकारी: पुलिस अधीक्षक यातायात।

10. रामबाग सर्किल पर टोंक रोड के मोड पर स्लिप लेन का निर्माण।

नगर निगम की ओर से अवगत करवाया गया की प्रस्तावित स्लिप लेन के लिए जमीन अधिगृहीत किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एव अधिग्रहण होने के पश्चात टीसीबी को अवगत करवा दिया जायेगा।

संबंधित अधिकारी : नगर निगम।

(C) टीसीबी की 51वीं बैठक की विषय सूची पर चर्चा:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित ट्रेफिक मोनिटरिंग सब-कमेटी के प्रतिवेदनों पर चर्चा।

प्रस्तुत विषय पर पुलिस अधीक्षक यातायात ने की गई कार्यवाही से अवगत करवाया तथा आगे भी न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना के लिये कार्यवाही जारी रखने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये की वस्तुतः स्थिति से मोनिटरिंग सब-कमेटी को अवगत करवाने के लिये अलग से बैठक का आयोजन कर लिया जाये।

संबंधित अधिकारी: सलाहकार टीसीबी

2. टीसीबी को पूर्णकालिक ईकाई के रूप मे संचालित करना।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया की इस कार्य के लिये सलाहकार टीसीबी नियुक्त है, जिनकी सहायता के लिये एक एईन नोडल अधिकारी के रूप मे चिन्हित कर दिया जाये। इस प्रकरण को टीसीबी की विशेष सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है।

3. ड्राईविंग लाईसेंस के लिये शिविर नही लगाये जाना।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया की विशेष परिस्थितियों मे यदि शिविर लगाये जाये तो उनका आयोजन आरटीओ कार्यालय में किया जाये जिससे की कम्प्यूटर परीक्षा के पश्चात ही लर्निंग लाईसेंस दिये जाने की व्यवस्था बन सके।

संबंधित अधिकारी: प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।

4. ड्राईविंग लाईसेंस के लिये और कियोस्क लगाये जाना।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया की यादगार, योजना भवन एवं जिलाधीश कार्यालय में लर्निंग लाईसेंस के लिये कियोस्क लगाये जायेंगे। इन्हे स्थापित करने एवं संचालित करने के लिये स्थान संबंधित विभाग उपलब्ध करवायेंगे एवं इनका संचालन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा।

संबंधित अधिकारी: सलाहकार टीसीबी एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।

5. सड़क सुरक्षा संस्थान एवं रिसोर्स सेंटर की स्थापना एवं संचालन।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया की इस संबंध मे सभी प्रकार के प्रस्ताव एवं कार्ययोजनाएं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस एवं मुस्कान द्वारा तैयार की जाकर अनुमोदनार्थ भिजवायी जायेंगी तथा जैसे-जैसे प्रस्ताव आयेंगे तदनुरूप कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी । अतः इस बिन्दु को टीसीबी की विषय सूची से हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. टीसीबी के निर्णयों की प्रभावी एवं शीघ्र अनुपालना।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को सलाह दी की चूंकि बोर्ड के

सदस्य ही निर्णय लेते है अतः उन्हे लिये गये निर्णयों की अनुपालना की तरफ अधिक जागरूकता अपनानी चाहिये। सचिव एवं सलाहकार टीसीबी भी इस संबंध मे समय-समय पर फोलोअप करते रहे तथा अगली टीसीबी की बैठक के 10 दिन पूर्व अध्यक्ष महोदय को वस्तुतः स्थिति से अवगत करवाया जाये। इस बिन्दु को टीसीबी की विषय सूची से हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन हेतु का बजट का आवंटन।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि सन 1998 के बाद पंजीकृत किये गये वाहनों के विवरण का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस अवधि से पूर्व के वाहनों का विवरण कंप्यूटर में भरना बकाया है। वाहनों के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य परिवहन एवं यातायात विभाग को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है अत जरूरी है की सार्वजनिक, विभागीय एवं यातायात हित में सभी वाहनो के विवरण कंप्यूटर में भरें जाये, जिससे की जब भी किसी वाहन के बारे में सूचना प्राप्त करनी हो तो वह सूचना तत्काल उपलब्ध हो सके। इस प्रसंग में पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया की एटीसी सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिये भी सभी वाहनों के विवरण कंप्यूटर में भरे जाने आवश्यक है। एटीसी सिस्टम के कारण ट्रेफिक जंक्शन पर लगे कैमरे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के पंजीकरण अंको सहित फोटोग्राफ्स लेंगे। यदि वाहनों के विवरण कंप्यूटर में अंकित होगे तो ऐसे वाहनों के बारे में तत्काल विवरण प्राप्त किया जाकर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। इस व्यवस्था से अपराधों में लिप्त वाहनों का पता लगाये जाने में भी सहूलियत रहेगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मती से अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया की वांछित बजट (3 लाख रूपये) का आवंटन शीघ्र ही आरटीओ को किया जाये।

संबंधित अधिकारी : सलाहकार टीसीबी एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।

8. दुर्गापुरा मोड़, गोपालपुरा मोड एवं खण्डाका अस्पताल के यातायात व्यवधानों को दुर करना।

सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया की उक्त तीनों स्थानों की यातायात व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया जाकर प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाकर यातायात अवरोधो को दूर किया जायेगा। इस बिन्दु को टीसीबी की लंबित विषयसूची से हटाने का निर्णय लिया गया।

बैठक मे उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा सडक सुधार के लिये साइनेज का लगाया जाना दुर्घटना संवेदी स्थानों मे सुधार बहुमंजिला इमारतो के लिये केता पुस्तक उपलब्ध करवाये जाने जैसे पूर्व में टीसीबी द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालना की ओर सभी संबंधित सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. महापौर नगर निगम जयपुर
2. कलेक्टर जयपुर
3. परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर
4. निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
6. सलाहकार, ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड जविप्रा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर
8. आयुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर
9. पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर
13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर
14. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर
15. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर
16. निदेशक वित्त जविप्रा
17. निदेशक नगर आयोजना जविप्रा
18. निदेशक परियोजना जविप्रा
19. निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा
20. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा
21. निजी सचिव, सचिव जविप्रा
22. सर्किल अभियन्ता –द्वितीय जविप्रा
23. सिस्टम एनेलिस्ट जविप्रा
24. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा
25. जोनल अभियन्ता --9 जविप्रा
26. श्री प्रमोद भसीन गुरकान संस्था प्रतिनिधि 45, हथरोई अजमेर रोड जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधि